26/8/19

अभि० उभयपक्ष उप० हैं। बहस सुनी गयी। संक्षिप्त में वाकेयात इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 128/0.66, 136/423/0.24, 137/1.32, 148/1.30, 174/0.73, 350/0.04, 351/606/0.44, 416/600/0.12 कुल किता 8 रकबा 4.85 है० वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील [illegible] प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी व आधिपत्य में है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण को कोई सरोकार संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण बादशस्त आराजीयात के पड़ौसी खातेदार होने के कारण आराजी की कदीमी मेड़ों को तोड़कर प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा हस्तक्षेप करते हैं। जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। दिनांक 30.7.2016 को एलानियां धमकी दी कि अप्रार्थी नं. 2 जो अप्रार्थी नं. 1 का [illegible] है वे जबरन प्रार्थी की उक्त आराजियात की मेर को तोड़कर जबरन कब्जा करेंगे। काश्त शुदा फसल को हड़प लेंगे। जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया तो उनकी उक्त बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थी को

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति आर्थिक रूप से कतई संभव नहीं हो सकेगी। दावा करने का अभिप्राय समाप्त हो जायेगा। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में मजबूती साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को सर्वदा के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त आराजियात में बेजा हस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थी के कदीमी मेडों को तोड़कर अप्रार्थी की खातेदारी के खेतों में न मिलावें। प्रार्थी की काश्त शुदा फसल को नहीं उखेलें। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में बेजा हस्तक्षेप कर क्षति नहीं पहुंचावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी नं. 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया जिस पर उसके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की गयी। अप्रार्थी नं. 1 ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कभी भी उसकी खातेदारी की आराजी को काश्त करने से व फसल काटने, उपयोग करने से मना नहीं किया था बल्कि प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी की आ० ख० नं. 351 रकबा 0.30 है० पर आये दिन बेजामजाहमत करता था डोल तोड़ता है। उगी फसल में जानवरों द्वारा नुकसान कराता था ट्रेक्टर बजोर जबरन आराजी में ले जाता है। एक माह पूर्व भी इस आशय की धमकी दी गयी। जिसके लिए यह प्रा.पत्र काउन्टर टी.आई. पेश करना लाजिम आया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी को जरिये ~~अस्थाई~~ काउन्टर टी.आई. पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम गोविन्दपुरा में अप्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे। फसल बोने काटने से मना नहीं करे। उस हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

जिस पर प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर टी० आई० का जवाबुलजवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र सही तथ्यों पर बिना किसी रंजिश के सही रूप से पेश किया था विवाद मूल उत्पन्न होने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजियात में काश्त करने, फसल काटने, उपयोग उपभोग करने से मना करने पर पेश किया था। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी ख.नं. 351 रकबा 0.30 है० पर प्रार्थी ने कभी भी बेजा मजाहमत नहीं की व नहीं मेर, डोल तोड़ी व नहीं उगी फसल में जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया व नहीं ट्रेक्टर बजोर जबरन आराजी में ले गया। नहीं प्रार्थी द्वारा एक माह पूर्व धमकी दी। बिना विवाद मूल के काउन्टर टी.आई. पेश किया था अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 351 रकबा 0.30 है० के नजदीक प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख.नं. 350 रकबा 0.04 है०, 351/606 रकबा 0.45 है० समीप है इसलिए अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा हस्तक्षेप करता था इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सही रूप से पेश किया था तथा काउन्टर टी.आई. खारिज योग्य है अतः अप्रार्थी का काउन्टर टी० आई० अस्वीकार फरमायी जाकर खारिज फरमायी जावे तथा प्रार्थी का प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, फोटो प्रति नकल जमाबंदी खतौनी सं. 163 जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 वाके ग्राम गोविन्दपुरा पेश की तथा अप्रार्थी ने काउन्टर टी.आई. की ताईद में स्वयं का शपथ पत्र, खाता सं. 96 सम्वत 2072-75 गोविन्दपुरा की प्रति पेश की।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष समात की गयी। जो कि मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र, जवाब काउन्टर टी.आई., जवाब मय काउन्टर टी.आई. के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

बहुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक नकल जमाबंदी खतौनी सं. 163 जमाबंदी सम्वत् 2072-75 बाके ग्राम गोविन्दपुरा प्रार्थी हिम्मतसिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज है। अर्थात प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजियात से अप्रार्थीगण या किसी किसान का कोई सरोकार या वास्ता नहीं होना भी जाहिर है। जहां तक अप्रार्थी की काउन्टर टी.आई. का प्रश्न है, अप्रार्थी द्वारा अनावश्यक तौर पर पेश किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का रिकॉर्डेड खातेदार है। कोई भी रिकॉर्डेड खातेदार अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनन हकदार है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया होना तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रमाणित है। नाकाबिले तलाफी नुकसान का प्रश्न है, प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है, उसकी खातेदारी भूमि में किसी तरह की दखलंदाजी से प्रार्थी को (खातेदार को) अपूर्णीय क्षति होने से नहीं नकारा जा सकता है। काउन्टर टी.आई. रंजिशवश पेश करना जाहिर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 11.8.2016 को कन्फर्म किया जाता है तथा काउन्टर टी.आई. को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 22.8.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। संलग्न मूल वाद रहे।

(सुरजनसिंह नेगी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह